| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व [illegible] अहकाम जो हुक्म की [illegible] में जारी | तारीख हुक्म |
|---|---|---|---|
| 20/9/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप[स्थित] है। बहस प्रा०पत्र T.I. सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/9/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | | |
| 29/9/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रा०पत्र T.I. में वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। ग्राम रेठोदा की भूमि खसरा सं. 1596/1112 रकबा 15 बीघा भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से सह-खातेदार दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों तथा राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित प्रकरणों मे अभिनिर्धारित सिद्धान्तों एवं 1964 RRD पेज 88 के अनुसार साधारणतया एक सह-अभिधारी किसी दूसरे सह-अभिधारी के विरूद्ध आदेश प्राप्त नही कर सकते है। अत: प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होता है। रिकार्ड सहखातेदार होने के कारण अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होता है।<br>अत: प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, बहस पक्षकारान एवं उक्त विवेचन के आ[illegible] का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 [illegible] अस्वीकार किया जाकर [illegible] किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय [illegible] / पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 16:13:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)